उत्तराखण्ड शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
संख्या– /xxxi(15)G/15–31(सा0)/2015–17
देहरादून दिनांक 03 नवम्बर, 2017

अधिसूचना

श्री राज्यपाल, निगोशिएबल इन्सट्रूमेंट एक्ट, 1881(1881 का एक्ट संख्या–26) की धारा 25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए, जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या–20/25–56–पब–2, दिनांक 08 जून, 1957 के अनुसार राज्य सरकार प्रयोग में ला सकती है, के अधीन भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना दिनांक 16 अक्टूबर,2017 के अनुसार हिमाचल प्रदेश के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में सम्पन्न कराये जाने हेतु मतदान दिनांक **09 नवम्बर, 2017** को उत्तराखण्ड प्रदेश की सीमा क्षेत्रान्तर्गत शासकीय/अशासकीय कार्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों/अर्द्ध–सरकारी निकायों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों प्रतिष्ठानों में कार्यरत हिमाचल प्रदेश के मतदाता कार्मिकों/कारीगरों/मजदूरों, को मतदान हेतु सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

(इन्दुधर बौड़ाई)
अपर सचिव।

संख्या–970 (1)/xxxi(15)G/15–31(सा0)/2015 –17 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, श्री राज्यपाल,उत्तराखण्ड।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
5. सचिव, भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन, अशोक रोड़ नई दिल्ली के पत्र दिनांक 16 अक्टूबर, 2017 के अनुपानार्थ प्रेषित।
6. जिलाधिकारी, देहरादून।
7. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/मा0 मुत्री/मा0 राज्य मंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्य मंत्री/मा0मंत्री/मा0 राज्य मंत्री के अवलोकनार्थ।
8. महानिदेशक,सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना का समाचार पत्रों में आवश्यक प्रचार/प्रसार करने का कष्ट करें।
9. निदेशक,मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय,रूड़की को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को उत्तराखण्ड प्रदेश के आगामी असाधरण गजट में प्रकाशित कराते हुए गजट की 20 प्रतियां सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि कृपया उपर्युक्त अधिसूचना को राज्य सरकार की वेबसाईट में अपलोड कराने का कष्ट करें।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(इन्दुधर बौड़ाई)
अपर सचिव।